न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 56/22 निर्णय दिनांकः– 21-11-2022

(जीसीएमएस संख्या 2022/00106)

1. पुष्पादेवी पत्नी स्व. फूसाराम जाति जाट निवासी रेल्वे स्टेशन के पास
2. सुखदेव पुत्र स्व. फूसाराम जाति जाट निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर जरिये मु.आम वैभव दुबे पुत्र रामनिवास दुबे निवासी शिव मंदिर के पीछे, सुभाषपुरा तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 12–12–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 12–12–2000 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को चक 1 एमएम के मुरब्बा नम्बर 96/10 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। परन्तु वादगत् भूमि अनकमाण्ड होने तथा वर्षा न होने के कारण उक्त भूमि पूर्ण रूप से काश्त नहीं कर पाया। इस कारण अपीलांट्स के पति/पिता समय पर किश्तें जमा नहीं करवा सका। अपीलांट्स बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु आज दिनांक को भी तैयार है तथा अपीलांट्स द्वारा बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु कभी भी इंकार नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट्स आज भी वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को बकाया राशि जमा करवाने हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होकर अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है, जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

से बकाया राशि जमा करवाते हुए वादग्रस्त भूमि अपीलांट् के नाम से पुनः बहाल की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–12–2000 के विरूद्व अपील दिनांक 23–03–22 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट् को आवंटित होने के पश्चात् बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर अपीलांट् का आवंटन विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–12–2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 23–03–2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर प्रार्थना पत्र की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 15–01–1994 को चक 1 एमएम के मुरब्बा नम्बर 96/10 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित करते हुए विधिवत पट्टा जारी व कब्जा दिये जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 12–12–2000 को अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में निरस्त किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को आवंटनशुदा भूमि को खारिज करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जबकि न्याय का प्रतिपादित सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सूना जाना आवश्यक है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2076–79 के अनुसार आराजी जैर आज भी रिकार्ड में आराजीराज दर्ज चली आ रही है। चूंकि वर्तमान में आराजी जैर अन्य किसी को आवंटनशुदा न होकर रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स् के आवंटन को कब्जे के अभाव में बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

7. अतः पैरा संख्या 6 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–12–2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं होने की दशा में उपनिवेशन नियमों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में अपीलांट्स की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21-11-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते